न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/26/2023	2023/357	15–06–2023	05–12–2024

01– हरफूल पुत्र प्रभाती।
02– काटूला राम पुत्र प्रभाती निवासीयान ग्राम साधन का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर (राज0)। – अपीलार्थीगण

बनाम

01– गुंगा पुत्र हरिया निवासी साधन का बास, ग्राम नंगला बंजीरका तह0 रामगढ़।
– असल रेस्पोडेण्ट

02– रहीस पुत्र नसीबा,
03– साहब खां पुत्र सुफेदा जाति मेव निवासीयान ग्राम साधन का बास, तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0
– तरतीबी रेस्पो/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक 26.12.2022 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 03/2022

उपस्थितः–

01–श्री मुकेश गौड़ –वकील अपीलाण्ट्स
02–श्री पुष्कर राज –वकील असल रेस्पो0
03– सीमा सैनी –वकील तर0 रेस्पो0

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 26.12.2022 प्रकरण संख्या 03/2022 ग्राम साधन का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिन अपीलार्थी स्वयं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा रेस्पो. गुंगा भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। रेस्पो. गुंगा ने स्वयं की अनुसूचित जाति का बेजा लाभ उठाने की नियत से धारा 183 बी आर.टी. एक्ट का दावा जानबूझकर गलत तथ्यो के आधार पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति तरतीबी रेस्पो. रहीस व साहब खॉ को ही पक्षकार बनाया था। अपीलार्थी को नही। जबकि रेस्पो. गुंगा ने अपीलार्थी हरफूल व काटूला की आवंटित मौरूषी जायदाद मे से हक वो अधिकार प्राप्त करना चाहता है, धारा 183 बी आर.टी. एक्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा उसके हक व अधिकार पर कोई अपराध अथवा अतिक्रमण किया जाता है तो उक्त धारा लागू होती है किसी अनुसूचित जाति के समान जाति वाले व्यक्ति पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं। रेस्पो. गुंगा ने जानबूझकर रहीस व साहब खॉ जो कि एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति है, जिनको ही अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाया है। अपीलार्थी को नही बनाया, तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने रहीस व साहब खॉं के भी विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त आदेश दिनांक 26.12.2022 पारित कर दिया। इस प्रकार स्वर्ण जाति के व्यक्ति तरतीबी रेस्पो. रहीस व साहब खॉं के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने व अपीलार्थी को जानबूझकर पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रतिवादीगण का पक्ष ना तो सुना गया। ना ही उसके दस्तावेजो व तथ्यो पर गौर फरमाया गया ओर विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 26.12.2022 के पश्चात जब हल्का पटवारी व अन्य राजकर्मचारी रेस्पो. गुंगा के साथ अपीलार्थी की आवंटित मौरूषी आराजी पर पैमाईश करने आये तब उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

प्रथम बार हुई थी। जिस पर अपीलार्थी ने समस्त दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से धारा 96 सी.पी.सी व धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार इसलिए बना क्योकि अपीलार्थी की आराजी पर रेस्पो. गुंगा के द्वारा दखलन्दाजी की जा रही थी। अपीलार्थी का अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद से कोई लेना देना नही था। अधिनस्थ न्यायालय की जानकारी मिन अपीलार्थी को काफी देरी से मिलने के कारण अपील प्रार्थना पत्र देरी से पेश करने का कारण बहुत ही सद्भाविक एव यथोचित था। जो धारा 96 एवं धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपीलार्थी की अपील भी स्वीकार योग्य है। रेस्पो. गुंगा ने अधिनस्थ न्यायालय ने हाल खसरा नम्बर 270, रकबा 0.26 है० का कब्जा वापिस लेने बाबत प्रस्तुत किया है, परन्तु रेस्पोडेन्ट गुंगा ने ना तो अधिनस्थ न्यायालय में ना ही अपीलान्ट कोर्ट के समक्ष यह तथ्य अंकित नही किया कि हाल खसरा नम्बर 270 उसके पास कहा से प्राप्त हुई। जिसका कोई दस्तावेज भी रेस्पो. गुंगा ने प्रस्तुत नही किया। किसी व्यक्ति को कोई सम्पति जरीये अलोटमेन्ट, बयनामा, बटवारनामा, वसीयत, बुर्जुगानो की मौरूषी जायदाद आदि से प्राप्त होती है और उक्त सम्पति का हक वो अधिकार रखने वाले व्यक्ति के पास उपरोक्त वर्णित दस्तावेजो में से कोई ना कोई दस्तावेज सम्पति प्राप्त करने आधार होता है, परन्तु रेस्पो. गुंगा ने हाल खसरा नम्बर 270 उसके हक वो अधिकार मे कैसे प्राप्त हुई से संबंधित कोई दस्तावेज एवं तथ्य दोनो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये। जिस कारण उक्त खसरा नम्बर 270 रेस्पो. गुंगा के स्वामित्व में किस प्रकार आई तथा उसको प्राप्त करने का आधार संदेहप्रद है। रेस्पो. गुंगा ने अपनी आराजी खसरा नम्बर की गत (पुर्व) की जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, पट्टा, नक्शा भी पेश नही किया, तथा यह भी तथ्य दर्ज नही किया कि उसका उक्त आराजी का गत खसरा नम्बर क्या था, आराजी खसरा नम्बर 270 के आस पास कौन कौनसा खसरा नम्बर लगता है यह तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय के दावे व अपीलान्ट कोर्ट के समक्ष अंकित नही किया। उक्त आराजी खसरा नम्बर पर हाल में कब्जा काश्त रेस्पो. गुंगा का रहा हो कि बाबत रेस्पो. गुंगा ने ना तो कोई खसरा गिदावरी प्रस्तुत की है ओर ना ही कोई मौके की कब्जा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय के दावे में दो हल्का पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है जिसमे भी हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 में खाता संख्या 271 व खसरा नम्बर 271 रकबा 0.26 है0, चाही–3 पर गुंगा पुत्र हरिया का हिस्सा पूर्ण खातेदार के रूप मे दर्ज है। हल्का पटवारी ने राजस्व रिकोर्ड के अनुसार खातेदारी होना ही बताया है, रेस्पो. गुंगा का कब्जा काश्त होना नहीं बताया है। रेस्पो. गुंगा के पास आराजी खसरा नम्बर 270 के स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नही है ओर ना ही इस बात की जानकारी है कि उसके पास किसी आधार से आराजी प्राप्त हुई है, रेस्पो. गुंगा को आराजी खसरा नम्बर 270 के सिमाकंन की भी जानकारी नही है, गुंगा को आराजी खसरा नम्बर 270 के आस पास लगने वाली आराजी एवं हदुदर्बा की भी जानकारी नही है। रेस्पो. का आराजी खसरा नम्बर 270 पर कभी कब्जे काश्त रही हो से संबंधित कोई दस्तावेज या मौका रिपोर्ट उपलब्ध नही है केवल राजस्व रिकोर्ड में सम्वत् 2073 स 2078 में रेस्पो. का नाम खातेदार के रूप मे आराजी खसरा नम्बर 270 मे दर्ज हो जाने से स्वामित्व प्राप्त नही हो सकता है, बल्कि सही तथ्य यह है कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2058 के दौरान सहवन से आराजी खसरा नम्बर 270 में गुंगा पुत्र हरिया का नाम गलत इन्द्राज हो गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को उक्त दावे के दस्तावेज देखने के पश्चात हुई है। जिस बाबत भविष्य में अपीलान्ट के द्वारा दुरूस्ती का दावा भी अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जावेगा। अपी0 के पिता प्रभाती पुत्र छाजू साकिन नंगला बंजीरका तह0 रामगढ को दि0 23.06.1975 सम्वत 2032–35 में जमीन आलोट हुई थी। जिसकी जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा व पट्टा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत है। उक्त जमाबन्दी, पट्टा मे अपीलार्थी व उसके बुर्जुगानों का नाम इन्द्राज है। इसके विपरित रेस्पो. गुंगा को मुताबिक राजस्व रिकोर्ड रकबा 26 है0 आलोट होना जाहीर किया। जिसका गत नम्बर 21 मी. रकबा 1 बीघा है। जिसक रेस्पो. गुंगा ने कोई जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा, पट्टा, आलौटमेन्ट आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। मुताबिक राजस्व रिकोर्ड गत खसरा नम्बर 21 मी. सिवायचक था। हाल राजस्व रिकोर्ड के अलावा गुंगा का नाम किसी भी जमाबन्दी मे खातेदार या गैरखातेदार के रूप मे इन्द्राज नही है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही किया। तहसील रामगढ के अधीन सभी पंचायत जहाँ जहाँ राज सरकार के द्वारा जिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (ग्रामीण)
अलवर (राज०)

व्यक्तियो को आज तक जमीन आलॉट कि गई है उसकी सूचि तहसील रामगढ में सुरक्षित है। उक्त सूचि की नकल प्रतिलिपी मिन अपीलार्थी ने प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत की है। उक्त ऑलोटमेन्ट सूचि पर गौर फरमाया जावे तो यह तथ्य सामने स्पष्ट उल्लेख होता है कि रामगढ तहसील में रेस्पो. गुंगा पुत्र हरिया को कहीं पर भी कोई जमीन आलॉट नही की गई है ओर ना ही रेस्पो. का नाम आलौटमेन्ट सूचित मे दर्ज किया हुआ है बल्कि उक्त ऑलौटमेन्ट सूचि में किसी दीगर व्यक्ति गुंगा पुत्र नन्नु को ऑलोट हुई थी। जिसका नाम आलोटमेन्ट सूचि के कम संख्या 20 पर नाम दर्ज है। उक्त आलौटमेन्ट सूचि में एकसमान नाम होने के कारण दोराने सेटलमेन्ट सहवन से रेस्पो. गुंगा पुत्र हरिया का नाम राजस्व रिकोर्ड की जमाबन्दी मे इन्द्राज हो गया। जिसका बेजा लाभ उठाते हुए रेस्पो. गुंगा पुत्र हरिया ने राज्य कर्मचारियो से साज बाज होकर केवल उक्त राजस्व रिकोर्ड के आधार पर यह दावा पेश किया है। जिसको अपीलार्थी आवश्यक रूप से संशोधित करवाने बाबत, अधिनस्थ न्यायालय में दुरूस्ती का दावा पेश करेगा। रेस्पो. गुंगा की तथाकथित आराजी खसरा नम्बर 270 राजस्व रिकोर्ड के नक्शे में भी अपीलार्थी की आराजी से चपेटवा नही है। जिस कारण आराजी खसरा नम्बर 270 का कोई हिस्सा अपीलार्थी की आराजी में मिलाये जाने का दूर दूर तक अंदेशा नही। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.12.2022 में धारा 183 बी आर.टी. एक्ट के विपरित आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का भी अतिक्रमी बताया है ओर अपीलार्थी से रेस्पो. को कब्जा वापिस दिलवाये जाने के आदेश पारित किये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के वाद में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के विरूद्ध ही उक्त धारा में आदेश पारित किया है। इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 183 बी आर.टी. एक्ट के उददेश्यो के विपरित अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी ने भी अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर खसरा नम्बर 270 की दो बार मौके की रिपोर्ट तैयार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कि है। जिसमे भी रेस्पो. गुंगा का कोई वास्तविक कब्जा काश्त नही दिखाया है, बल्कि राजस्व रिकोर्ड सम्वत् 2058 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 270 की जमाबन्दी मे गुंगा पुत्र हरिया का नाम दर्ज होना बताया है। हल्का पटवारी ने उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थी, तरतीबी रेस्पो. के कब्जे में रेस्पो. गुंगा की आराजी का अलग अलग हिस्सा कब्जे मे होने का जो तथ्य दर्ज किया है व केवल कयास के आधार पर दर्ज किया है। हल्का पटवारी के द्वारा मौके पर उक्त आराजी की कोई नाप–तौल अथवा पैमाईश नही की गई है। समस्त रिपोर्ट कयासिया आधार पर तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट को भी रेस्पो. गुंगा ने एतराज दर्ज करवाते हुए गलत व झुठी होना मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दुबारा हल्का रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर कतई गौर नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को बिना सुने एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उक्त दोनों मौका रिर्पोट व असल रेस्पो. गुंगा के प्रार्थना पत्र में दर्ज किये गये मिथ्या तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 26.12.2022 पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के किसी भी राजस्व रिकोर्ड पर गौर नही किया व ना ही अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पो. के पक्ष को सुना एवं धारा 183 बी आर.टी. एक्ट की मंशा व प्रावधानो के विपरित अपीलार्थी के पक्षकार नही होने पर भी उसके विरूद्ध उक्त धारा के विपरित अनुसूचित जाति के व्यक्ति के ही विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अतः वकील अपी0 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आपास्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्टान द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नंबर 270 रकबा 0.26 हैक्ट. वाके ग्राम साधन का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर राज० में स्थित है। अप्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0न0 270 रकबा 0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम साधन का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर (राज०) में स्थित है जो आराजी प्रार्थना पत्र मे विवादित है। जिसका राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी के हक में दर्ज है। विवादित आराजी मिन अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और मिन अप्रार्थी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। विवादित आराजी के साथ लगती हुई प्रार्थीगण की आराजी है जो प्रार्थीगण स्वर्ण मेव मुस्लिम जाति से संबंध रखते है तथा बदमाश व बाहुबली है जो अप्रार्थी की आराजी को अपनी आराजी में मिलाकर एक करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है जिस बारे मे प्रार्थीगण ने कई बार प्रयास किये है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम
अलवर (राज0)

प्रार्थीगण ने अपने साथ कुछ गुण्डे तथा खूंखार किस्म के लोगों लेकर विवादित आराजी पर आये और प्रार्थी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट पर उतारू हो गये तथा अप्रार्थी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर दिया और अप्रार्थी की आराजी की डोल तोडकर अपनी आराजी मे मिला लिया। विवादित आराजी वाके ग्राम साधन का बास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है। अप्रार्थी अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तथा वादीगण स्वर्ण जाति का होने के कारण अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर विवादित आराजी 270 रकबा 0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम साधन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, का कब्जा प्रार्थीगण से अप्रार्थी को वापिस दिलवाया जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2022 के विरूद्व दिनांक 15.06.2023 को पेश की गयी है जो करीब 05 माह 20 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का नंगला बंजीरका खसरा नंबर 270 रकबा 0.26 हैक्टेयर वाके ग्राम साधन का बास तहसील रामगढ राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 271 खसरा नंबर 270 रकबा 0.26 हैक्टेयर चाही 3 गूंगा पुत्र हरिया हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपी0 हरफूल, काटूला का रेस्पोडेंट गूंगा पुत्र हरिया की आराजी पर अवैध कबजा साबित होता है जो राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 183 बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ, द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर धारा 183 (बी) राज0 काश्त0 अधि0 निर्णय किया, जो उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)